

आवेदन-पत्र  
 बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई प्रदाय का आवेदन-पत्र  
 वर्ष 20 - 2

प्रति,

पासपोर्ट फोटो

प्रबंधक

शारणा -----

जिला खरगोन

महोदय,

कृपया निम्नाकित प्रयोजन हेतु प्रस्तुत आवेदन को स्वीकृत कर ऋण प्रदान करने की कृपा करें।

क्र.	प्रयोजन	कुल राशि	राशि का विवरण		
			अनुदान	मार्जिनमनी	बैंक ऋण
1	2	3	4	5	6

कुल बैंक ऋण राशि (शब्दों में) रूपये -----  
 आवेदक का विवरण

1 - आवेदक का नाम :- -----

2 - पिता/पति का नाम:- -----

3 - जाति (प्रमाण-पत्र संलग्न करें) :- -----

4 - निवासी:- -----

5 - आवेदक के पास उपलब्ध बकरीयों की संख्या :- -----

6 - आवेदक की वार्षिक आय :- -----

दिनांक -----

स्थान -----

आवेदक के हस्ताक्षर  
 मोबाइल नं. -----

गवाह के हस्ताक्षर

1 - नाम -----  
 निवासी -----

गवाह के हस्ताक्षर

2 - नाम -----  
 निवासी -----

## प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति ----- पिता पति  
----- मेरी ग्राम पंचायत के ग्राम ----- ग्राम  
पंचायत ----- विकासखण्ड ----- जिला खरगोन का निवासी  
होकर इनकी जाति ----- है।

सरपंच  
ग्राम पंचायत -----

## पशु चिकित्सक का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आवेदन का परीक्षण कर लिया गया उनके  
द्वारा दी गई जानकारी सही है तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र के आधार  
पर इनकी जाति सामान्य/पिछड़ा वर्ग/अ.ज.जा./अ.जा. है, जिसे योजना में शामिल किये  
जाने हेतु अनुशंसा की जाती है।

आवेदक का बैंक का नाम -----

ग्राता क्रमांक -----

आई.एफ.एस. सी. कोड -----

प्रमाणीकरण अधिकारी  
सहायक पशु चिकित्सा क्लौन अधिकारी

पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी/  
पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञ

## बैंक ऋण एवं अनुदान पर बकरी इकाई प्रदाय का अनुबंध-पत्र

मैं श्री/श्रीमति कुमारी ----- पिता/पति -----  
निवारी ----- विकासखण्ड ----- जो कि प्रगतिशील बकरी पालक हूँ  
आज दिनांक ----- को उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाये खरगोन के साथ अनुबंध  
करता हूँ/करती हूँ।

- 1- योजनान्तर्गत प्रदाय बकरे एवं बकरीयों का उपयोग प्रजनन हेतु करुंगा/करुंगी।
- 2- नर बकरे एवं बकरीयों के प्रजनन अभिलेख का संधारण पंजी मे करुंगा/करुंगी  
व समय-समय पर विभागीय अधिकारी/कर्मचारी को पंजी का निरीक्षण  
कराउंगा/कराउंगी।
- 3- योजना मे किये गये प्रावधानुसार व्यय की राशि का 10: बैंक मे जमा  
करुंगा/करुंगी।
- 4- प्रदायित नर बकरे एवं बकरीयों को सभी आवश्यक यथा समय टीकाकरण  
कराउंगा/कराउंगी।
- 5- प्रदायित नर बकरे एवं बकरीयों का यथा समय रोगोपचार, चिकित्सा रोग निदान  
हेतु आवश्यक रोग जाँच कराउंगा/कराउंगी।
- 6- प्रदायित नर बकरे एवं बकरीयों का स्वास्थ्य रक्षा का पूर्ण ध्यान रखुंगा/रखुंगी।
- 7- योजना से होने वाले लाभ से अन्य बकरी पालकों को भी प्रेरित करुंगा/करुंगी।
- 8- विभाग द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का पालन करुंगा/करुंगी।

पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी

आरेदक के हस्ताक्षर.

उप संचालक  
पशु चिकित्सा सेवाये खरगोन

**बैंक ऋण एवं अनुदान पर (10+1) बकरी इकाई योजना  
(योजना सभी वर्ग के लिए)**

क्र.	योजना	विवरण															
1	उद्देश्य	1. देशी बकरीयों में नस्ल सुधार लाना। 2. हितग्राहीयों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। 3. मांस तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना।															
2	योजना	1. योजना सभी वर्ग के भूमिहीन, कृषि, मजदूर, सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए। 2. हितग्राही को बकरी पालन का अनुभव हो।															
3	हितग्राही	सभी वर्ग के भूमिहीन, कृषि, मजदूर, सीमांत एवं लघु कृषकों के लिए।															
4	योजना का क्रम की	विवरण (10+1) बकरी इकाई लागत <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>1</td> <td>देशी स्थानीय नस्ल की बकरी दर 6,000/-प्रति बकरी</td> <td>6000/-</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>जमनापारी/बरबरी/सिरोही/वीटल बकरा</td> <td>7,500/-</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>बीमा राशि 10.35 प्रतिशत के दर से 5 वर्ष के लिए</td> <td>6986/-</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>बकरी आहार 3 माह के लिए 250 ग्राम प्रतिदिन रु. 1.2/- प्रतिकिलो</td> <td>2970/-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>योग</td> <td>77,456/-</td> </tr> </table>	1	देशी स्थानीय नस्ल की बकरी दर 6,000/-प्रति बकरी	6000/-	2	जमनापारी/बरबरी/सिरोही/वीटल बकरा	7,500/-	3	बीमा राशि 10.35 प्रतिशत के दर से 5 वर्ष के लिए	6986/-	4	बकरी आहार 3 माह के लिए 250 ग्राम प्रतिदिन रु. 1.2/- प्रतिकिलो	2970/-		योग	77,456/-
1	देशी स्थानीय नस्ल की बकरी दर 6,000/-प्रति बकरी	6000/-															
2	जमनापारी/बरबरी/सिरोही/वीटल बकरा	7,500/-															
3	बीमा राशि 10.35 प्रतिशत के दर से 5 वर्ष के लिए	6986/-															
4	बकरी आहार 3 माह के लिए 250 ग्राम प्रतिदिन रु. 1.2/- प्रतिकिलो	2970/-															
	योग	77,456/-															
5	अनुदान प्रति इकाई	अनुसुचित जनजाति/अनुयुचित जाति वर्ग के लिए 60 प्रतिशत अनुदान- 46473.60/- रु. सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अनुदान- 30982.40 रु. इकाई लागत का 10 प्रतिशत हितग्राही अंशदान, शेष बैंक ऋण															
6	चयन प्रक्रिया	हितग्राहीयों का ग्राम सभा में अनुमोदन। ग्राम सभा से अनुमोदित हितग्राहीयों का जनपद पंचायत की सभा में अनुमोदन। जनपद पंचायत के अनुमोदन उपरांत जिले के उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाये द्वारा अनुमोदित प्रकरण को रवीकृति हेतु बैंक को प्रस्तूत कर रवीकृति प्राप्त करेंगे।															
7	संपर्क	सम्बद्धित जिले के निकटतम पशु चिकित्सा अधिकारी/पशु औषधालय के प्रभारी/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाये															

उप संचालक  
पशु चिकित्सा सेवाएं खरगोन